

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठारीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

109/2023 प्रा.पत्र/2023

16.10.2023

तारीख निर्णय

04.09.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन निवासी गढ के सामने राहोली तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स त्रिलोक चन्द दिलीप कुमार बस स्टैण्ड राहोली तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304022 मोबाईल नं. 8875600044
- 2-मैसर्स त्रिलोक चन्द दिलीप कुमार बस स्टैण्ड राहोली तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304022
- 3-श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल निवाई जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड-304021
- 4-मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड-304021
- 5-श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी बी-82 एल.एस. नगर नयाखेडा विद्याधर नगर जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1-37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज.। पिनकोड-302012 मोबाईल नं. 9829032422
- 6-मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1-37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज.। पिनकोड-302012

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री भागचन्द बैरवा

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ता 6 श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.03.2023 को समय 02:45 पी.एम. पर मैसर्स त्रिलोक चन्द दिलीप कुमार बस स्टैण्ड राहोली तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा वीकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।



.....
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ दुकान की रैक में लगभग 20 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नम 900-900 एम.एल. पैक रिफाईंड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह रिफाईंड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर एसटी-45 एवं पैकिंग की दिनांक दिसम्बर 2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 900-900 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रिफाईंड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी ब्राण्ड) 900-900 एम.एल. के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 1-1 मूल पैक रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3564 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3564 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री त्रिलोक चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स त्रिलोक चन्द दिलीप कुमार बस स्टैण्ड राहोली तह. निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक राज. का खरीद बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्री फूड प्रोडक्ट एच-37, रीको इण्ड. एरिया सरना झूंगर झोटवाडा जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना अवगत कराया।



प्रतिरक्त जिला माजस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1902 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/1302/एक्ट/2023/1369 दिनांक 13.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया रिफाईंड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा व अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र लेबल पर एक्यपायरी दिनांक मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस रिफाईंड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया रिफाईंड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ कय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 04/09/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
टोंक
टोंक-राज0